भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3-

CG 736047

14 OCT 2014

समाप्त हो जायेगी और द्वितीयपक्ष लीज सम्पत्ति को पूर्व की स्थिति में प्रथमपक्ष के हवाले कर देगा।

6- यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीयपक्ष के कार्य संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगा।

7- यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी/लीज सम्पत्ति में शिकमी किरायेदार आबाद नही करेगा।

8-यह कि द्वितीय पक्ष अपने कार्य संचालन हेतु आवश्यकता पड़ने पर निर्माण करा सकता हैऔर सारी औपचारिकताये पूरी कर सकता है, किन्तु लीज की समाप्ति केबाद सम्पत्ति को पूर्व स्थिति में बहाल करने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

9- यह कि इस विलेख में अंकितशर्तो की पूर्ण पाबन्दी दोनो पक्षो पर बराबर लागू रहेगी।

अत: यह कि किरायेदारी अनुबन्ध पत्र लिखदिया गया किप्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जिसके बावत यह विलेख लिखा गया

[redacted]

KKlenzal

[redacted]